# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 469/2023

1. सत्यनारायण पुत्र जगमालराम विश्नोई
2. लक्ष्मण पुत्र सत्यनारायण विश्नोई
   निवासीगण ग्राम लूम्बारामनगर, लोहावट
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

**ब ना म**

1. भागीरथराम पुत्र रामकिशन विश्नोई
   निवासी ग्राम सदरी तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
2. बुधाराम पुत्र रामलाल विश्नोई
   निवासी चिकनीनाडी, चन्दनपुरा
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. सुरेशकुमार पुत्र श्रीराम विश्नोई
   निवासी ग्राम सदरी तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट

रेस्पो....

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 24 मई 2018 प्रकरण संख्या 67/2018 भागीरथराम आदि बनाम सुरेशकुमार व अन्य**

---

**उपस्थित–**

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
रेस्पो. संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

## नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्तूबर., 2024

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र सदरी के दौरान प्रकरण संख्या 67/2018 भगीरथराम वगैरह बनाम सुरेशकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का भी निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत एक प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 164/4 रकबा 30 बीघा वाके मौजा लोहावट विशनावास बाबत नेखमबन्दी हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि रेस्पो. की ओर से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र सदरी के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो उसी दिन स्वीकार करते हुए इकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था। ग्राम लोहावट विशनावास के मूल खसरा संख्या 164 के बट्टा नम्बर 164/4 बाबत विधिवत कोई तरमीम ही अंकित नहीं है। अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 163 ग्राम लोहावट विशनावास में स्थित है। मूल खसरा संख्या 164 पूर्व में सिवायचक था जिसमें से 65 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा आबादी हेतु आवण्टित किये जाने पर म्युटेशन संख्या 128 ग्राम लोहावट विशनवास स्वीकृत हुआ, मगर जमाबंदी में आबादी का अंकन नहीं हुआ। इसके उपरान्त विभिन्न व्यक्तियों को आवण्टन होने के बाद आवण्टियों से लक्ष्मण पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी द्वारा भूमि क्रय की गयी जिसके आधार पर म्युटेशन भी हुआ। उक्त लक्ष्मण पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थनापत्र संख्या 14/2014 लक्ष्मण बनाम सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया गया जो दिनांक 21 फरवरी 2024 को स्वीकार किया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील संख्या 86/2014 लक्ष्मणकुमार व अन्य बनाम सरकार

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पेश हुई जो दिनांक 22 अप्रेल 2015 को स्वीकार हुई। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 2163/2015 दिनांक 19 मई 2017 को आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी को रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रार्थी को सुने बिना ही मात्र तहसीलदार लोहावट को पक्षकार मानते हुए दिनांक 10 अप्रेल 2018 को पुनः खसरा संख्या 164/4 की तरमीम का आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 8/2019 लक्ष्मण वगैरा बनाम लक्ष्मण वगैरह पेश की गयी, जो दिनांक 4 मार्च 2020 को स्वीकार की गयी। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 1486/2020 पेश की गयी जो दिनांक 23 मई 2022 को स्वीकार की गयी। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23 मई 2022 के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10101/2022 (जिसमें तहसीलदार लोहावट पक्षकार संयोजित है) के संलग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत दिनांक 27 सितम्बर 2022 को "... meanwhile and till the next date of hearing no third party right shall be created by the respondents..." आदेश पारित किया गया, जो आदिनांक तक प्रभावी है। मूल रिट याचिका विचाराधीन है जिसमें यह विनिश्चित किया जाना है कि मूल खसरा संख्या 164 के भाग खसरा संख्या 164/4 की तरमीम धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में किया जाना सही है अथवा नहीं। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि इसी खसरा संख्या 164/4 के संबंध में तहसीलदार लोहावट द्वारा दिनांक 16 मई 2023 को अन्य प्रकरण संख्या 67/2018 भागीरथराम बनाम सुरेशकुमार आदि में उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित पत्थरगढी के आदेश दिनांक 24 मई 2018 की पालना करने बाबत पत्र कमांक 21/2023 दिनांक 16 मई 2023 को जारी किया गया। जिस पर अपीलाण्ट्स द्वारा एतराज किया गया कि वादग्रस्त आराजी बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और स्थगन आदेश भी प्रभावी है। मगर तहसीलदार लोहावट द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र/एतराज बाबत गौर नहीं किया गया और खसरा संख्या 164/4 की पत्थरगढी कर फर्द बना दी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने इस कानूनी स्थिति की ओर भी अदालत हाजा का ध्यान आकृष्ट किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भूमि की धारा 128 में नेखमबंदी अथवा पत्थरगढी की जा सकती है। मगर आलौच्य प्रकरण में कोई पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध ही नही है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश लोक अदालत कैम्प में अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी रेस्पो. द्वारा तहसीलदार लोहावट से मिलीभगत कर दिनांक 19 मई 2023 को मौके पर पालना करवाने का प्रयास करने पर हुई। तब नकल आदि प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दरमियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अपील अपीलाण्ट्स मियादशुमार कर स्वीकार की जावे और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पो. की संयुक्त खातेदारी भूमि है और इनके मध्य सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स आराजी खसरा संख्या 163 वाके मौजा लोहावट विशनावास के खातेदार होकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 164/4 के खेत–पडौसी होना प्रकट होता है। खेत–पडौसी होने के कारण वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी बाबत की जा रही कार्यवाही से स्वभाविक तौर पर प्रभावित पक्षकार होने के कारण मामले में उन्हें पक्षकार संयोजित किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। मगर आलौच्य मामले में ऐसा नहीं किया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः इन तथ्यों, परिस्थितियों एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा इस बाबत प्रस्तुत बहस पर विश्वास करते हुए अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है और प्रस्तुत अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 164/4 व मूल खसरा संख्या 164 के संबंध में मामला विचारण न्यायालय से लेकर प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल तक निर्णित हुए और वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील संख्या 1486/2020 में पारित निर्णिय दिनांक 23 मई 2022 के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एसबी सिविल रिट याचिका संख्या

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

10101/2022 (जिसमें तहसीलदार लोहावट पक्षकार संयोजित है) विचाराधीन होना एवं इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश 27 सितम्बर 2022 प्रभावी होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में इन तथ्यों एवं परिस्थितियों बाबत कोई गौर किये बिना एवं वादग्रस्त आराजी के खेत–पडौसी खसरा संख्या 163 के खातेदार को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार करते हुए आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मई 2018 खारिज किया जाता है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किया जावे और उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वादग्रस्त भूमि से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10101/2022 विचाराधीन होने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश 27 सितम्बर 2022 प्रभावी होने के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में विधिसम्मतः एवं न्यायोचित कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर